न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 24 / 2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. रतनलाल पिता गोपी चमार आयु वयस्क निवासी दांता हाल बबराणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर सा0 चित्तौड़गढ़।
2. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांक: 30.04.2026

–:निर्णयः–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा दांता तहसील कपासन में साबिक पैमायश की आ0नं0 7 बटा 6 रकबा 3 बीघा स्थित थी जो राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी के पिता गोपी पिता दल्ला की जाति चमार के नाम पर खातेदारी से दर्ज होकर कब्जे काश्त में थी। मुझ वादी के पिता का देहावसान हो गया है जिनका एक मात्र उत्तराधिकारी मैं वादी ही हूँ। उक्त आराजीयात पर वादी का अपने पिता के जीवनकाल के समय से ही लगातार कब्जा चला आ रहा है।

यह कि वक्त सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार के नाम पर दर्ज कर दी जिसके वर्तमान में आ0नं0 41 रकबा 0.67 हैक्ट0 है। परन्तु उक्त आराजीयात पर वादी का कब्जा अपने पिता के जीवनकाल के समय से ही चला आ रहा है। इस कारण यह घोषणा कराया जाना आवश्यक हो गया है कि उक्त आ0नं0 41 रकबा 0.67 हैक्ट0 का खातेदार काश्तकार वादी है व राजस्व रेकार्ड में आराजीयात को बिलानाम सरकार से हटा कर वादी के नाम खातेदारी अंकित किया जाना आवश्यक है। एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह वाद वर्णित वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात में किसी प्रकार दस्तन्दाजी नहीं करे एवं न ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों आदि से ही करावें।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का नुकसान नही होगा व जारी न होने की स्थिति में वादी को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मूल्यों में नही की जा सकेगी व वादी अपने हकों से वंचित हो जायेगा व अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ जायेगी।

यह कि उपरोक्त राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती हेतु वादी ने प्रतिवादी संख्या दो से दिनांक 30.03.2007 निवेदन किया तो उन्होने असमर्थता जाहिर की।

अतः वादी की प्रार्थना है कि पक्षवादी खिलाफ प्रतिवादीगण घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वाद वर्णित आ0नं0 41 रकबा 0.67 हैक्ट0 का खातेदार काश्तकार वादी है एवं राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित की जावें एवं वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार के नाम दर्ज है जिसको हटाया जाकर वादी का नाम अंकित किया जावें।

यह कि पक्षवादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वाद वर्णित आराजीयात नं0 41 रकबा 0.67 हैक्ट0 में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे एवं वादी को कब्जे से बेदखल नही करें एवं न ही ऐसा अपने अधिनस्थ कर्मचारी, नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावें।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पेरोकार सरकार की **ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शा0फा0 है।** तत्पश्चात् तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया मौजा दांता की साबिक आराजी नं0 7/6 रकबा 3 बीघा वादी के पिता गोपी की खातेदारी भूमि थी एवं आया इस भूमि के बाद सेटलमेन्ट आ0नं0 41 रकबा 0.67 हैक्ट0 बने हैं?

–जिम्मेवादी

2. आया सेटलमेन्ट के दौरान वर्णित भूमि त्रुटिवश बिलानाम दर्ज हुई है एवां आया इस पर सेटलमेन्ट पूर्व से ही वादी काबिज है?

–जिम्मेवादी

3. आया वादी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है?

–जिम्मेवादी

4. दादरसी

साक्ष्यवादी में रतनलाल, रामलाल तथा नारायण का शपथ पत्र प्रस्तुत। दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये व प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से जिरह पूर्ण की गई। साक्ष्यप्रतिवादी पूर्व में दिनांक 06.12.2024 को बन्द की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

<u>तनकी संख्या 01</u> :–

आया मौजा दांता की साबिक आराजी नं0 7/6 रकबा 3 बीघा वादी के पिता गोपी की खातेदारी भूमि थी एवं आया इस भूमि के बाद सेटलमेन्ट आ0नं0 41 रकबा 0.67 हैक्ट0 बने हैं? इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा वादी का था। केवल मात्र साबिक से हाल के दस्तावेज प्रस्तुत करने से वादपत्र सिद्ध नही होता है, भू प्रबन्ध की कार्यवाही अर्द्धन्यायिक प्रकिया है जिसमें कोई भी कार्यवाही नियमों व कानून को दृष्टिगत रखते हुए की जाती है। वादी द्वारा भू प्रबन्ध की कार्यवाही से संबंधित कोई भी ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02</u> :–

आया सेटलमेन्ट के दौरान वर्णित भूमि त्रुटिवश बिलानाम दर्ज हुई है एवां आया इस पर सेटलमेन्ट पूर्व से ही वादी काबिज है ? इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा वादी का था। वादी द्वारा वादवर्णित आराजीयात पर कब्जा होने संबंधी कोई भी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि वादवर्णित आराजीयात पर वादी का कब्जा हैं, अतः उक्त तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 03</u> :–

आया वादी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है? इस तनकी को साबित कराये जाने का जिम्मा वादी का था। तनकी संख्या 01 व 02 वादी द्वारा सिद्ध कराये जाने में असफल रहने से उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 04</u> :–

दादरसी? उक्त तनकी सम्पूर्ण वादपत्र का सांराश है जिसमें न्यायालय द्वारा वादी से किसी प्रकार की त्रुटि होने पर न्यायहित में आवश्यक दाद प्रदान की जा सकती है परन्तु वादी द्वारा तनकी संख्या 1, 2, 3 सिद्ध कराने में असफल रहने से उक्त तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

वादी द्वारा तनकी संख्या 1, 2, 3, 4 सिद्ध कराये जाने में असफल रहने से वादी अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रहे। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) कपासन

(मणीलाल ...)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन